पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस

0न0 337/2025

गुरटेक सिंह पुत्र जुगराज सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला नुमानगढ।

वादी

बनाम्

गुरनंन्द सिंह पुत्र जुगराज सिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला नुमानगढ।

गुरनामसिह पुत्र गुरबचनसिह जाति जटसिख निवासी 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला नुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 7/10/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं0 16 जीजीआर के प0न0 179/289 मु0 35 किलानं0 23/2/.012, प0न0 179/290 मु0 39 किलानं0 3/.228 8/.253, 13,14,17/.759, 18/.077 है0 पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण, 24/.253, प०न० 179/291. मु0 46 किलानं0 4/1/.228, 4/2/.025 हे0 खाला व प0न0 179/289 मु0 35 किलानं0 23/1/.013 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं० 16 जीजीआर के खाता सं0 15/16 में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम व इसी चक के खाता सं0 16/17 में से प्रतिवादी सं0 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।